अध्याय – 5

भू–राजस्व

कार्यपालन सारांश

हमने इस अध्याय में प्रमुखता से जो दर्शाया है	इस अध्याय में हमने तहसीलदारों तथा कलेक्टरों के कार्यालयों में प्रीमियम तथा भू–भाटक की प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति होना, भू–राजस्व तथा उपकर का शासकीय खाते में प्रेषण न किया जाना, सेवा प्रभारों का अनारोपण आदि से सम्बंधित अभिलेखों की हमारे द्वारा नमूना जांच के दौरान लिए गए प्रेक्षणों से चयनित ₹ 35.55 करोड़ के उदाहरणात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है, जहां हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था । यह चिंता का विषय हैं कि इसी तरह की चूकों को विगत कई वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमारे द्वारा बार–बार इंगित किया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है ।
प्राप्तियों की प्रवृत्ति	वर्ष 2012–13 में, भू–राजस्व से प्राप्त कर संग्रहण में, विगत वर्ष की तुलना में 58.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विभाग द्वारा इस वृद्धि का कारण नहीं बताया गया।
निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)	वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान, हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 6,00,616 प्रकरणों में ₹ 2,177.38 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित प्रीमियम, भू–भाटक तथा व्यपवर्तन लगान का अवनिर्धारण, नजूल भूमि के पट्टे का नवीनीकरण न होना, प्रक्रिया व्यय का अनारोपण, राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों का पंजीयन न होना आदि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने ₹ 1,314.57 करोड़ के 5,23,534 प्रकरणों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया था तथा 7,722 प्रकरणों में ₹ 173.11 करोड़ वसूल किये । स्वीकार की गई आपत्तियों की तुलना में वसूली का प्रतिशत 1.69 प्रतिशत से 37.10 प्रतिशत के मध्य रहा, जो बहुत कम था ।
वर्ष 2012–13 के निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति	वर्ष 2012–13 में, हमने भू–राजस्व से सम्बन्धित 55 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की जिसमें 12,481 प्रकरणों में ₹ 70.76 करोड़ की राशि से सन्निहित प्रीमियम, भू–भाटक, व्यपवर्तन लगान का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमिततओं का पता चला । विभाग ने वर्ष 2012–13 में हमारे द्वारा इंगित किये गये

	12,103 प्रकरणों में ₹ 23.35 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया ।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को हमारे द्वारा इंगित किये गये प्रीमियम, भू–भाटक, व्यपवर्तन लगान तथा उपकर के अवनिर्धारण, प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना आदि के कारण राशि को वसूल करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, विशेषकर उन प्रकरणों में जहां विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है ।

अध्याय – 5
भू–राजस्व

5.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव राजस्व विभाग का प्रमुख होता है । प्रधान राजस्व आयुक्त विभाग प्रमुख होता है जिसकी सहायता के लिए आयुक्त, बंदोबस्त एवं भू–अभिलेख होता है । संभागीय आयुक्त संभाग के अंतर्गत सम्मिलित जिलों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखते हैं । प्रत्येक जिले में विभाग की गतिविधियों पर कलेक्टर का प्रशासनिक नियंत्रण होता है । जिले के उप–संभाग के प्रभार हेतु एक या अधिक सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर की पदस्थापना करने का दायित्व जिला कलेक्टर का होता है । किसी उप–संभाग के प्रभार में इस प्रकार पदस्थापित अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी कहलाते हैं । वे कलेक्टर की उन शक्तियों का उपयोग करते हैं जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्देशित की जाएं । राजस्व अभिलेख एवं बंदोबस्त के संधारण हेतु कलेक्टर कार्यालय में अधीक्षक/सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख (एस.एल.आर./ए.एस.एल.आर.) की पदस्थापना की जाती है । तहसीलदारों/अपर तहसीलदारों को तहसीलों में राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है । राज्य में दस राजस्व संभाग हैं जिनमें प्रत्येक का प्रमुख आयुक्त होता है, 50 जिले जिनमें प्रत्येक का प्रमुख कलेक्टर होता है तथा 341 तहसीले हैं ।

भू–राजस्व प्राप्तियों का विनियमन निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाता है :

- मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता (एम.पी.एल.आर.सी.), 1959;
- मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम (एम.पी.पी.आर.ए.), 1993;
- मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम, 1982;
- मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम (एम.पी.एल.ए.), 1987; तथा
- राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.)

5.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मध्य प्रदेश बजट मैन्युअल, 2012 की कंडिका ए–15 सहपठित कंडिका 6.6.1 के अनुसार, राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में विगत वर्षों की बकाया देय राशि तथा वर्ष के दौरान उसकी वसूली की संभावना सहित वास्तविक मांग शामिल/प्रदर्शित की जाना चाहिये। मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 192 के अनुसार, सम्बंधित विभाग/शासन से आवश्यक जानकारी/आंकड़े प्राप्त करने के बाद वित्त विभाग द्वारा राजस्व अनुमान तैयार किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान भू–राजस्व के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि में कुल कर प्राप्तियों सहित तालिका क्रमांक 5.1 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 5.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पुनरीक्षित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिक (+)/ कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियां	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक कर प्राप्तियों का प्रतिशत
2008-09	156.01	338.84	(+) 182.83	(+) 117.19	13,613.50	(+) 2.49
2009-10	161.81	180.03	(+) 18.22	(+) 11.26	17,272.77	(+) 1.04
2010-11	182.46	360.81	(+) 178.35	(+) 97.75	21,419.38	(+) 1.68
2011-12	475.00	279.06	(-) 195.94	(-) 41.25	26,973.44	(+) 1.03
2012-13	550.00	443.59	(-) 106.41	(-) 19.35	30,581.70	(+) 1.45

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन के बजट अनुमान एवं वित्त लेखे)

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012–13 में, विगत वर्ष की तुलना में ₹ 164.53 करोड़ (58.96 प्रतिशत) भू–राजस्व संग्रहण में वृद्धि हुई। वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान पुनरीक्षित बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता का प्रतिशत (–) 41.25 तथा 117.19 के मध्य रहा । विभाग ने भिन्नता का कारण नहीं बताया ।

5.3 आंतरिक लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण

आंतरिक लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यप्रणाली है कि विभागीय क्रियाकलाप लागू कानून, विनियमों तथा अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार मितव्ययता एवं निपुणता के साथ प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किये जाते हैं, अधीनस्थ कार्यालय विभिन्न अभिलेख, रजिस्टर/अकाउन्ट बुक उचित तरीके से एवं सही–सही संधारित कर रहे हैं और राजस्व का संग्रहण न होने/कम संग्रहण या अपवंचन की रोकथाम के लिए समुचित रक्षोपाय किये जा रहे हैं ।

हमने अवलोकित किया कि विभाग में कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है । इसके अभाव में सभी इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा लंबित थी ।

प्रणाली की कमजोरियों, दोषपूर्ण कार्यप्रणाली और परिणामतः राजस्व के रिसाव को समाप्त करने के लिए नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन किया जा सकता है ।

5.4 भू–राजस्व का बकाया

विभाग ने प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013) कि कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त[1], मध्य प्रदेश, भोपाल एक नवीन सृजित (2010–11) कार्यालय है । इसलिए भू–राजस्व बकाया की जानकारी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है । जानकारी जिलों से एकत्रित की जा रही है ।

5.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

5.5.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, हमने ₹ 342.72 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित प्रीमियम तथा भू–भाटक का अवनिर्धारण, शासकीय लेखाओं में भू–राजस्व तथा उपकर[2] का प्रेषण न किये जाने, सेवा प्रभारों का अनारोपण, प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना, व्यपवर्तन लगान तथा प्रीमियम का अवनिर्धारण आदि से सम्बंधित प्रकरणों को इंगित किया था । जबकि विभाग ने ₹ 258.71 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा 31 मार्च 2013 तक केवल ₹ 143.14 करोड़ की राशि वसूल की जैसा कि तालिका क्र. 5.2 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 5.2

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कंडिकाओं की संख्या	मौद्रिक मूल्य	स्वीकार की गई कंडिकाओं की संख्या	स्वीकार की गई कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वसूली की गई	31.03.2013 तक वसूल राशि
2007–08	5	4.75	3	3.18	3	2.29
2008–09	7	5.22	7	3.52	6	0.86
2009–10	1	314.60	1	239.84	1	139.87
2010–11	6	3.90	2	1.95	1	0.12
2011–12	7	14.25	2	10.22	–	–
योग	**26**	**342.72**	**15**	**258.71**	**11**	**143.14**

1 तहसील कार्यालयों के विभागाध्यक्ष

2 पंचायत उपकर जो भू–राजस्व का 50 प्रतिशत है ।

विगत पांच वर्षों के दौरान वर्ष 2007–08 और 2009–10 को छोड़कर, स्वीकार किये गये प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत कम रहा है।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में अंतर्निहित राशि की वसूली के लिए उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिये ।

5.5.2 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान, हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 6,00,616 प्रकरणों में ₹ 2,177.38 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित प्रीमियम, भू–भाटक तथा व्यपवर्तन लगान का अवनिर्धारण, नजूल[3] भूमि के पट्टे का नवीनीकरण न होना, प्रक्रिया व्यय का अनारोपण, राजस्व वसूली प्रमाण पत्र का पंजीयन न होना आदि को इंगित किया था । इनमें से, विभाग/शासन ने 5,23,534 प्रकरणों में ₹ 1314.57 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा 7,722 प्रकरणों में ₹ 173.11 करोड़ वसूल किये (31 मार्च 2013 की स्थिति)। विवरण तालिका क्र. 5.3 में दर्शाया गया है :

तालिका क्र. 5.3

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकृत		वसूली		स्वीकृत राशि से वसूली का प्रतिशत
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	
2007-08	110	2,37,557	110.81	2,37,557	110.81	7,021	11.69	10.55
2008-09	121	33,807	274.22	33,807	274.22	327	5.37	1.96
2009-10	94	1,36,783	628.68	72,803	378.94	21	140.60	37.10
2010-11	45	1,72,568	870.47	1,60,044	272.58	130	10.76	3.95
2011-12	66	19,901	293.20	19,323	278.02	223	4.69	1.69
योग		**6,00,616**	**2,177.38**	**5,23,534**	**1,314.57**	**7,722**	**173.11**	

विगत पांच वर्षों के दौरान स्वीकार किये गये प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम रहा है। हमने यह मामला विभागाध्यक्ष एवं शासन के वित्त सचिव की जानकारी में लाया है (अगस्त 2013)।

[3] शहरी क्षेत्रों में स्थित शासकीय भूमि ।

5.5.3 निरीक्षण प्रतिवेदनोंकी स्थिति (2012–13)

वर्ष 2012–13 के दौरान भू–राजस्व की 55 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 12,481 प्रकरणों में ₹ 70.76 करोड़ के राजस्व अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जिन्हें तालिका क्रमांक 5.4 अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जा सकता है :

तालिका क्र. 5.4

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	प्रीमियम एवं भू–भाटक का अवनिर्धारण	2	0.02
2.	राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों का पंजीयन न होना	135	2.36
3.	व्यपवर्तन लगान/प्रीमियम का अवनिर्धारण	5,381	1.37
4.	नजूल भूमि के पट्टे का नवीनीकरण न होना	57	0.47
5.	व्यपवर्तन लगान/प्रीमियम तथा शास्ति की मांग सृजित न करना	4,187	0.56
6.	प्रक्रिया व्यय का अनारोपण/वसूली न होना	253	0.96
7.	अन्य प्रेक्षण	2,466	65.02
योग		**12,481**	**70.76**

वर्ष के दौरान, विभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किये गये 12,103 प्रकरणों में ₹ 23.35 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रमुखता से दर्शाते हुए ₹ 35.55 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

5.6 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने भू–राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण से सम्बंधित अभिलेखों की जांच की जिससे प्रीमियम एवं भू–भाटक के कम आरोपण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जैसा कि इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लेखित किया गया है। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं और ये हमारे द्वारा की गयी नमूना जांच पर आधारित हैं। निर्धारण प्राधिकारियों की ओर से पायी गयी इस प्रकार की कमियां विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गयी हैं। इस प्रतिवेदन में शामिल की गई कंडिकाओं तथा विगत में इंगित किये गये समान प्रेक्षणों का सन्दर्भ **परिशिष्ट–1** में उल्लिखित है, परन्तु न केवल ये अनियमितताएं निरंतर बनी हुई हैं, बल्कि इनका लेखापरीक्षा होने तक पता नहीं चला था। अतः शासन को ऐसी कमियों को दूर करने के लिए आंतरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

5.7 सेवा प्रभारों का शासकीय खाते में प्रेषण न किया जाना

भूमि अधिग्रहण कार्य में संलग्न अधिकारियों तथा स्टाफ को प्रोत्साहन प्रदान करने और इस संबंध में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए शासन ने जुलाई 1991 में उन विभागों/संगठनों से, जिनकी ओर से भूमि अधिग्रहण किया जाना था, अवार्ड राशि के 10 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार वसूल करने का निर्णय लिया । भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व, अवार्ड की अनुमानित राशि का 10 प्रतिशत सम्बंधित विभागों/संगठनों से जमा कराया जाना था । अंतिम अवार्ड के पश्चात, सेवा प्रभार की शेष राशि (अंतिम अवार्ड तथा अनुमानित अवार्ड के अंतर पर आंकलित) भी वसूल की जानी थी । इस प्रकार, वसूल की गई राशि शासकीय खाते में मुख्य शीर्ष **'0029' भू–राजस्व** के अंतर्गत प्रेषित की जानी थी। मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग–I के नियम 7(i) में भी प्रावधानित है कि शासन के पक्ष में संग्रहीत धनराशि बिना अनावश्यक विलंब के शासन के खाते में जमा की जाना चाहिये। राजस्व परिपत्र पुस्तक–II–1 की कंडिका 34 के अनुसार संभागीय आयुक्त द्वारा प्रत्येक कलेक्टर और तहसील कार्यालय के राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण क्रमशः दो और तीन वर्ष में किया जाना चाहिये तथा कलेक्टर द्वारा जिले की सभी तहसीलों का निरीक्षण प्रतिवर्ष किया जाना चाहिये।

कलेक्टर कार्यालय, धार में भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया (दिसम्बर 2012) कि 86 प्रकरणों में ₹ 79.33 करोड़ का भूमि अवार्ड निर्णीत किया जा चुका था एवं सेवा प्रभार की राशि ₹ 7.93 करोड़ दिसम्बर 2010 और अक्टूबर 2012 के मध्य वसूल हो गयी थी। नियमानुसार, सेवा प्रभार बिना किसी विलंब के शासन के खाते[4] में जमा की जाना अपेक्षित थी । लेकिन, हमने यह देखा कि लेखापरीक्षा दिनांक तक (दिसम्बर 2012) ये राशियां शासकीय खाते में जमा कराने के बजाय भू–अर्जन अधिकारी के पर्सनल डिपॉजिट अकाउन्ट (पी.डी.ए.) में रखी गयी । इस प्रकार, सेवा प्रभारों का प्रेषण न किये जाने के कारण राजकोष ₹ 7.93 करोड़ के राजस्व से वंचित हो गया । इस कार्यालय का निरीक्षण संभागायुक्त तथा जिला कलेक्टर द्वारा भी नहीं किया गया ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद, भू–अर्जन अधिकारी, धार ने बताया (दिसम्बर 2012) कि सेवा प्रभार शासन के खाते में जमा नहीं कराये जा सके क्योंकि संग्रहीत एवं पी.डी.ए. में रखी गयी राशि जिला न्यायालय, धार द्वारा जब्त की गयी थी । हम सहमत नहीं हैं क्योंकि संग्रहण के बाद राशि तुरन्त शासकीय खाते में जमा की जानी चाहिये थी । इसके

[4] मुख्यशीर्ष "0029" भू–राजस्व के अन्तर्गत

अलावा, 1 जनवरी से 14 मार्च और 21 जुलाई से 5 नवम्बर 2012 के दौरान पी.डी.ए. जब्त नहीं रहा था । अतः इस अवधि के दौरान सेवा प्रभार शासकीय खाते में जमा किया जा सकता था ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

5.8 ब्याज का अनारोपण/वसूल न किया जाना

मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल (एम.पी. एच.बी.) नोडल एजेंसी के रूप में तथा मेंसर्स दीपमाला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (डी.आई.पी.एल.) के मध्य निष्पादित विकास अनुबंध (अप्रैल 2008) के अनुच्छेद 29.2 के अनुसार, यदि कोई राशि इस अनुबंध के किसी प्रावधान के अंतर्गत एक पक्ष से दूसरे पक्ष को भुगतान योग्य हो जाती है और यदि नियत समय सीमा में इसका भुगतान नहीं किया जाता है तो भुगतान का दायित्व जिस पक्ष का है यह माना जायेगा कि यह ऋण है जो उसके द्वारा राशि प्राप्त करने वाले पक्ष से प्राप्त किया गया है। ऐसी राशि पर देय तिथि से भुगतान तिथि अथवा अन्य प्रकार से वसूली की अवधि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। आगे, मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग–I के नियम 7(i) के अनुसार शासन के पक्ष में संग्रहीत धनराशियां बिना अनावश्यक विलंब के शासन के खाते में जमा की जाना चाहिये।

राजधानी परियोजना (नजूल), भोपाल के अभिलेखों (विकास अनुबंध, आवंटन फाइल एवं वसूली से सम्बंधित दस्तावेज) से हमने अवलोकित किया (मार्च 2013) कि 15 एकड़ नजूल भूमि ₹ 338.00 करोड़ में अप्रैल 2008 में डी.आईपी.एल. को आवंटित की गयी थी। यह प्रतिफल राशि डी. आई.पी.एल. द्वारा तीन किश्तों में भुगतान की जानी थी तथा आवंटिती को सौंपी गई भूमि की वास्तविक माप के अनुसार यह प्रतिफल राशि पुनरीक्षित की जानी थी। डी.आई.पी.एल. द्वारा ₹ 101.40 करोड़ की दो किस्तों का भुगतान अप्रैल और अगस्त 2008 के मध्य किया गया तथा प्रीमियम की अंतिम किश्त अप्रैल 2009 में देय थी । प्रीमियम राशि पुनरीक्षित कर ₹ 335.30 करोड़ की गयी क्योंकि कंपनी को 15 एकड़ के स्थान पर 14.88 एकड़ का कब्जा दिया गया था (नवम्बर 2008) । हमने यह देखा कि अंतिम किश्त ₹ 132.50 करोड़ का पट्टेदार द्वारा भुगतान, देय तिथि के 469 दिन बाद जुलाई 2010 में किया गया। अतः विलंबित अवधि हेतु ₹ 25.54 करोड़ का ब्याज भी देय था। तथापि हमने देखा कि न तो विभाग द्वारा ब्याज की मांग की गई और न ही पट्टेदार द्वारा इसका भुगतान

किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 25.54 करोड़[5] का ब्याज प्राप्त नहीं हुआ ।

हमने यह भी अवलोकित किया कि शासन की ओर से एम.पी.एच.बी को 31 जुलाई 2010 को भुगतान की गई उपरोक्त वर्णित तीसरी किस्त ₹ 132.50 करोड़ एम.पी.एच.बी. द्वारा इसकी प्राप्ति के 16 दिन बाद 18 अगस्त 2010 को कोषालय में जमा की गई जिसके कारण शासन ₹ 87.12 लाख[6] के ब्याज से वंचित हो गया। इसकी मांग भी एम.पी.एच.बी. से नहीं की गई । इस प्रकार, शासन को देय राशियों के विलंब से भुगतान पर ब्याज के अनारोपण तथा कोषालय में विलंब से जमा करने के परिणामस्वरूप ₹ 26.41 करोड़ का ब्याज प्राप्त नहीं हुआ ।

हमारे द्वारा प्रकरण को इंगित किये जाने के बाद, तहसीलदार नजूल ने बताया (मार्च 2013) कि शासन हित में सम्बंधित दस्तावेजों की जांच के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । आगामी प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2014) ।

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

5.9 भू–राजस्व एवं उपकर का शासकीय खाते में प्रेषण न किया जाना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (भाग एक) के नियम 7 (i) सहपठित नवम्बर 2001 में जारी शासन की अधिसूचना के अनुसार, तहसील कार्यालयों द्वारा संग्रहीत भू–राजस्व एवं उपकर कोषालय को प्रेषित कर शासकीय खाते में मुख्य शीर्ष "0029" भू–राजस्व के अन्तर्गत जमा किया जाना चाहिये ।

हमने जून एवं दिसम्बर 2012 के मध्य सात तहसील कार्यालयों[7] के मांग एवं वसूली के विवरण पत्रक तथा चालानों की नमूना जांच के दौरान अवलोकित किया कि तहसील कार्यालयों द्वारा अक्टूबर 2011 तथा सितम्बर 2012 के मध्य संग्रहीत ₹ 85.28 लाख का भू–राजस्व एवं उपकर कोषालय में मुख्य शीर्ष "0029" भू–राजस्व के

---

5 469 दिन के विलंब से जमा राशि (17.04.09 से 30.07.10) – ₹ 1,32,49,60,000
वार्षिक ब्याज : 1,32,49,60,000 × 15 प्रतिशत= 19,87,44,000
एक दिन का ब्याज : 19,87,44,000 ÷ 365 दिन = 5,44,504.10
कुल ब्याज : 5,44,504.10 × 469 दिन = 25,53,72.427 अथवा ₹ 25.54 करोड़

6 16 दिन (02.08.10 से 17.08.10) विलंब से जमा राशि = ₹ 1,32,49,60,000
1,32,49,60,000 × 15 प्रतिशत = ₹ 19,87,44,000 वार्षिक ब्याज
एक दिन का ब्याज : 19,87,44,000 ÷ 365 = ₹ 5,44,504.10
कुल ब्याज : 5,44,504.10 × 16 दिन = ₹ 87,12,064 अथवा ₹ 87.12 लाख

7 आष्टा (सीहोर), देवास, जैथारी (अनूपपुर), कोतमा (अनूपपुर), मंझोली (सीधी), पोरसा (मुरैना) और सहवाल (सीधी)

अंतर्गत जमा करने के बजाय पंचायत निधि में जमा किया गया । इस प्रकार, राजकोष ₹ 85.28 लाख़ के राजस्व से वंचित हो गया । यह त्रुटि विभाग द्वारा इंगित नहीं की गयी यद्यपि आयुक्त शहडोल संभाग द्वारा कोतमा तहसील का निरीक्षण मार्च तथा सितम्बर 2012 में किया गया था जो कि अप्रभावी निरीक्षण का द्योतक है ।

हमारे द्वारा सितम्बर एवं दिसम्बर 2012 के मध्य इसे इंगित किये जाने के बाद, चार तहसीलदारों[8] ने बताया (सितम्बर और दिसम्बर 2012 के मध्य) कि भू–राजस्व तथा उपकर मुख्य शीर्ष '0029' भू–राजस्व के अंतर्गत जमा किया जायेगा । तहसीलदार, आष्टा (सीहोर) ने सितम्बर 2012 में बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सीहोर को ये राशियां शासन के खाते में जमा कराने के लिये पत्र लिखा गया है। तहसीलदार, देवास एवं तहसीलदार पोरसा (मुरैना) ने क्रमशः जून और नवम्बर 2012 में बताया कि जिला पंचायत से यह राशि यथाशीघ्र वापस प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जायेगी । आगामी प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2014) ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

5.10 नजूल प्रीमियम और भू–भाटक का अवनिर्धारण

बाजार मूल्य मार्गदर्शिका 2010–11 के उपबंध क्रमांक 1 के अनुसार कार्नर स्थित भूखण्डों का मूल्यांकन उसमें निर्धारित सामान्य मूल्य में 10 प्रतिशत जोड़कर किया जायेगा ।

अनुविभागीय अधिकारी (शहर वृत्त), भोपाल के अभिलेखों (राजस्व प्रकरण पंजी एवं नजूल प्रकरण) से हमने अवलोकित किया (मार्च 2013) कि 2024.16 वर्गमीटर रकवे का एक नजूल भूखण्ड मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एम.पी.आर.डी.सी.) को स्थायी पट्टे पर शासन द्वारा आवंटित किया गया (अक्टूबर 2010) । नजूल भूखण्ड के आवंटन की स्वीकृति आदेश के उपवर्णनों से ज्ञात हुआ कि प्रीमियम की संगणना वर्ष 2010–11 की बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के प्रावधानों एवं उसमें विहित दरों के अनुसार की जानी थी । तदनुसार, ₹ 3.67 करोड़ का प्रीमियम और ₹ 27.55 लाख प्रति वर्ष भू–भाटक प्रभार्य था । तथापि, हमने देखा कि विभाग द्वारा इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि कार्नर भूखण्ड होने के कारण सामान्य मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक मूल्यांकन किया जाना था, प्रीमियम ₹ 3.34 करोड़ तथा भू–भाटक ₹ 25.05 लाख प्रति वर्ष प्रभारित किया । इस प्रकार प्रीमियम के अवनिर्धारण

[8] जैथारी (अनूपपुर), कोतमा (अनूपपुर), मझौली (सीधी) तथा सहवाल (सीधी)

के परिणामस्वरूप ₹ 33.40 लाख के प्रीमियम एवं ₹ 2.50 लाख प्रतिवर्ष भू–भाटक योग ₹ 35.90 लाख[9] का कम आरोपण/वसूली हुई ।

हमारे द्वारा इंगित (मार्च 2013) किये जाने के बाद, अनुविभागीय अधिकारी (नजूल) ने बताया (मार्च 2013) कि आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । प्रकरण में आगामी प्रगति के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2014) ।

हमने प्रकरण विभाग एवं शासन को जून 2013 में प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2014) ।

[9] वर्ष 2010–11 की मार्गदर्शिका में व्यवसायिक भूखण्ड दर ₹ 16,500 प्रति वर्गमीटर,
प्रीमियम 2024.16 × 16,500 = 3,33,98,640+ कार्नर नजूल भूमि के लिए 10 प्रतिशत
अतिरिक्त = ₹ 3,67,38,504;
आरोपणीय भू–भाटक (7.5 प्रतिशत की दर से) : 3,67,38,504 × 7.5% = ₹ 27,55,388 प्रतिवर्ष,
हानि प्रीमियम : 3,67,38,504 – 3,33,98,640 = ₹ 33,39,864
हानि भू–भाटक : 27,55,388 – 25,04,898 = 2,50,490 प्रतिवर्ष,
प्रति वर्ष कुल हानि : 33,39,864 + 2,50,490 = ₹ 35,90,354